न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 25/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

मंशा देवी पत्नी स्व. भगवती प्रसाद (सहऋणी एवं लीगल हायर स्व. भगवती प्रसाद) निवासी वार्ड नम्बर 14, चिरानियों का मौहल्ला, फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज.
यहां भी
मंशा देवी पत्नी स्व. भगवती प्रसाद
प्रोपर्टी स्थित है वार्ड नम्बर 16, चिरानियों का मौहल्ला, फतेहपुर, जिला सीकर–332301
ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 04-07-2019

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी **मंशा देवी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **प्रोपर्टी स्थित है वार्ड नम्बर 16, चिरानियों का मौहल्ला, फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज., जिसकी नाप 148.12 वर्गगज मालिकाना हक स्व. भगवती प्रसाद सोनी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं :– पूर्व में धर्मशाला ऑफ श्री सुरेका, पश्चिम में पार्ट ऑफ हाउस महेश कुमार सोनी, उत्तर में पब्लिक रास्ता, दक्षिण में प्रोपर्टी ऑफ मदन लाल स्थित है,** को बंधक रखकर **9,30,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **नौ लाख तीस हजार**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक **27.12.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **27.12.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **मंशा देवी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **प्रोपर्टी स्थित है वार्ड नम्बर 16, चिरानियों का मौहल्ला, फतेहपुर, जिला सीकर–332301 राज., जिसकी नाप 148.12 वर्गगज मालिकाना हक स्व. भगवती प्रसाद सोनी का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं :– पूर्व में धर्मशाला ऑफ श्री सुरेका, पश्चिम में पार्ट ऑफ हाउस महेश कुमार सोनी, उत्तर में पब्लिक रास्ता, दक्षिण में प्रोपर्टी ऑफ मदन लाल स्थित है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

5. आदेश आज दिनांकः 04-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner